

कमिश्नर वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश

उपस्थित:-

श्री दीपक कुमार ,कमिश्नर वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :-

**सर्वश्री इनकारडियो-राइट इलेक्ट्रानिक्स प्रा०लि०,ए-7 इण्डस्ट्रियल एरिया,
तालकटोरा रोड, लखनऊ।**

प्रा०प०सं०-

328/2008

प्रार्थी की ओर से- श्री जी०एल०जोशी,एडवोकेट ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008की धारा-59 के अन्तर्गतनिर्णय

1- प्रार्थी के द्वारा दिनांक 21-7-2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की धारा-59 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के geotechnical,geophysical,groundwater,structure instrumentations,Stress नापने वाले यंत्रों का निर्माण व बिक्री का कार्य किया जाता है। इन उपकरणों पर वैट के अन्तर्गत कर की दर की जानकारी चाही गयी है। इन उपकरणों की सूची निम्नवत है:-

Item No.	Product Name
2	Vibrating wire Temperature Meter
3	Resistance Temperature probe
4	Vibrating Wire Piezometer
5	Uplift Pressure Meter
6	Same as above but mechanical
7	Shotcrete -Concrete Stress Cell
8	Vibrating Wire Strain Meter
9	Vibrating Wire Strain Gage
10	Triaxial jointmeter
11	Normal & Inverted Plumb Line
12	Inverted pendulum
13	Automatic Water Level Recorder and Data Retrieval System
14	Seepage Measurement in and open channel Through a Weir
15	Strong Motion Accelerometer
16	Compression Load cell, Strain gage Type Center Hole Load cell, Vibrating Wire Type Centre Hole Load Cell.
17	Borehole Extensometer Model EDS-70V
18	Borehole Extensometer Model EDS-63U/D
19	Vibrating Wire Indicator
20	Digital Indicator

सर्वश्री इनकार्डियो-राइट इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०, ए-7 इण्डस्ट्रियल एरिया, तालकटोरा रोड, लखनऊ।
प्रा० प० सं०- 328/2008

21	Borehole Extensometer Model EDS-70 [SINGLE POINT]
22	Crack & Joint Meter
23	Earth & Concrete Pressure Cell
24	Inclinometer System
25	Tilt Meter
26	Data Acquisition System
27	Liner Displacement Transducer
28	Sister bar Strain meter
29	Reflective Target

2- ज्वाइन्ट कमिशनर(कार्यपालक)वाणिज्य कर, लखनऊ से प्राप्त आख्या में उल्लेख किया गया है कि इन उपकरणों का प्रयोग बॉधो, इमारतों के निर्माण में किया जाता है। इनसे बॉधो, इमारतों आदि पर पड़ने वाले विभिन्न भौतिक प्रभाव (फिजिकल पैरामीटर) को नापा जाता है। इसको प्रार्थी के द्वारा साइंटिफिक इन्स्ट्रुमेन्ट्स बताया गया है। इसे मशीनरी इक्वूपमेन्ट साइंटिफिक माना जा सकता है जिस पर 4 प्रतिशत की दर से करदेयता है।

2- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री जी०एल० जोशी, एडवोकेट उपस्थित हुये व बताया कि उक्त इन्स्ट्रुमेन्ट्स का प्रयोग सivil इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर जैसे डेम, ब्रिज, टनल्स, टावर्स आदि में विभिन्न फिजिकल पैरामीटर से नापने के लिये प्रयोग किया जाता है। यह समस्त साइंटिफिक इन्स्ट्रुमेन्ट्स है। वैट अधिनियम की अनुसूची-1 के क्रमांक-7 पर अंकित प्रविष्टि में साइंटिफिक इन्स्ट्रुमेन्ट्स का उल्लेख है। अतः इस पर कोई करदेयता नहीं होनी चाहिए।

3- मैंने व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों, प्राप्त विभागीय आख्या, विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों, उक्त मशीनों के सम्बन्ध में प्रस्तुत लिटरेचर का अवलोकन किया। उक्त वस्तुयें साइंटिफिक एपरेट्स हैं। वैट अधिनियम की अनुसूची-2 के भाग-क के क्रमांक-136 पर अंकित प्रविष्टि में साइंटिफिक एपरेट्स अंकित है, अतः पैरा-1 में वर्णित उक्त 29 वस्तुओं पर वैट अधिनियम की अनुसूची-2 के भाग-क के क्रमांक-136 के आधीन 4 प्रतिशत की दर से करदेयता है।

4- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

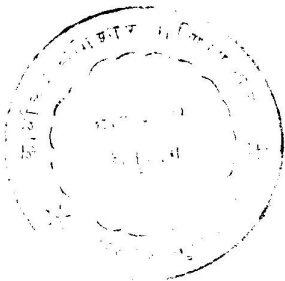
5- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

दिनांक :: 25 सितम्बर, 2008

ह०/25-9-08

(दीपक कुमार)

कमिशनर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।



स. स. गेड-1
प्रमाणित किया जाता है
कमिशनर वाणिज्य कर, लखनऊ